

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 18 /ix-1/53/2019, dated 24, September 2019.

Uttarakhand Shashan
Transport Section-1
No. 18 /ix-1/53/2019
Dehradun, Dated 24, September, 2019

Notification

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) and in supersession of Government notification no. 153/ix/108/2009, dated 15-07-2009, the Governor, is pleased to authorize all officers of the Transport Department of the rank of Transport Taxation Officer Grade-1 and above in the area of their jurisdiction may compound the offences detected by any officer of the State punishable under section specified in column no. 1 for amount specified against each section in column no. 2 of the Schedule below-

SCHEDULE

Section of the motor vehicles act, 1988 under which an offence is to be compounded	Amount for which an offence is to be compounded in rupees
1	2
177	500-00 for each offence 1500-00 for second or subsequent offence
178(1)	500/-
178(2)	500/-
178(3) (a)	50/-
178(3) (b)	500/-
179(1)	2000/-
179(2)	2000/-
180	2500/-
181	2500/-
182(1)	5000/-
182(2)	5000/-
182A(1)	50000/-
182 A (3)	50000/-
182 A (4)	5000/-
182B	5000/-
183(1)(i)	2000/-
183(1)(ii)	4000/-
184 Explanation (c)	1000/- 5000/- for second or subsequent offence
186	1000/- 2000/- for second or subsequent offence
189	5000/- 10000/- for second or subsequent offence
190(2)	2500/- 5000/- for second or subsequent offence

Handwritten notes:
 17N
 26/9/19

192	5000/- 10000/- for second or subsequent offence
192A	5000/- 10000/- for second or subsequent offence
194(1)	2000/- for light motor vehicles and 5000/- for other motor vehicles and an additional amount of 2000/- per tonne of excess load, together with the liability to pay charges for off loading of the excess load.
194(1A)	2000/- for light motor vehicles and 5000/- for other motor vehicles, together with the liability to pay charges for off loading of the excess load.
194(2)	5000/-
194A	200/- per passenger in excess of seating capacity
194B(1)	1000/-
194B(2)	200/-
194C	1000/- and disqualified for holding licence for a period of three months.
194D	1000/- and disqualified for holding licence for a period of three months.
194E	5000/-
194F	1000/- 2000/- for second or subsequent offence
196	1000/- for two and three wheeler vehicles, 2000/- for other vehicles, for second or subsequent offence- 2000/- for two and three wheeler vehicles, 4000/- for other vehicles
198	1000/-

Note-

1- Vehicle Carrying excess load than authorised under section 113 read with section 194 of the Motor vehicles Act 1988 and Vehicle carrying more passengers than authorised under section 194A shall not be allowed to move before such excess load is removed by the driver on his own cost and responsibility and is brought according to the authorised load specified in the registration certificate or the excess passengers are offloaded and brought to the authorised limit of passenger as specified in registration certificate.

2- Officers of the Police Department specified in notification no. 614/ix-1/81/2015/2016 dated 09-08-2016 empowered to compound offences under the sections mentioned therein may compound the offences of the section mentioned in that notification for the amount specified in this notification.

3- The compounding amount specified under section 190(2) and 194B(2) shall come into force from the date of 01 November, 2019 and the compounding amount specified under rest of above sections shall come into force in respect of offences detected from the date of issue of this notification.

By Order,

(Shailesh Bagauli)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-418 /ix-1/53/2019
देहरादून: दिनांक 24 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1938) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या-153/ix/108/2009 दिनांक 15 जुलाई, 2009 का अधिक्रमण करके परिवहन विभाग के परिवहन कर अधिकारी-ग्रेड-1 और उनसे ऊपर श्रेणी के समस्त अधिकारियों को अपने अधिकारिता क्षेत्र में राज्य के किसी अधिकारी द्वारा पाये गये अपराधों के विषय में नीचे स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट धारा के अधीन दण्डनीय अपराध को प्रत्येक धारा के सम्मुख स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट धनराशि हेतु शमन के लिये अधिकृत करते हैं-

अनुसूची

मोटर यान अधिनियम, 1988 की संबंधित धारा	धनराशि जिसके लिये अपराध शमन किया जा सकेगा (रूपये में)
1	2
177	प्रत्येक अपराध के लिए 500/- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 1500/-
178(1)	500/-
178(2)	500/-
178(3) (क)	50/-
178(3) (ख)	500/-
179(1)	2000/-
179(2)	2000/-
180	2500/-
181	2500/-
182(1)	5000/-
182(2)	5000/-
182क(1)	50000/-
182क(3)	50000/-
182क(4)	5000/-
182ख	5000/-
183(1)(एक)	2000/-
183(1)(दो)	4000/-
184 स्पष्टीकरण(ग)	1000/- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 5000/-
186	1000/- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 2000/-

lh

TR
Chaf

26/09/19

7058
27/9/19

189	5000 /- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 10000 /-
190(2)	2500 /- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 5000 /-
192	5000 /- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 10000 /-
192क	5000 /- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 10000 /-
194(1)	2000 /- हल्के वाहन हेतु एवं 5000 /- अन्य वाहनों हेतु तथा 2000 /- निर्धारित क्षमता से अधिक प्रत्येक टन के लिए (निर्धारित क्षमता से अधिक माल उतरवाने में आने वाले व्यय के भुगतान का दायित्व वाहन स्वामी/चालक का होगा)
194(1क)	2000 /- हल्के वाहन हेतु तथा 5000 /- अन्य वाहनों हेतु (निर्धारित क्षमता से अधिक माल उतरवाने में आने वाले व्यय के भुगतान का दायित्व वाहन स्वामी/चालक का होगा)
194(2)	5000 /-
194क	क्षमता से अधिक प्रत्येक सवारी के लिए 200 /-
194ख(1)	1000 /-
194ख(2)	200 /-
194ग	1000 /- एवं तीन माह तक लाईसेंस को निरहित करना।
194घ	1000 /- एवं तीन माह तक लाईसेंस को निरहित करना।
194ङ.	5000 /-
194च	1000 /- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए 2000 /-
196	दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों के लिए 1000 /- अन्य वाहन के लिए 2000 /- द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए-दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों के लिए 2000 /- अन्य वाहन के लिए 4000 /-
198	1000 /-

टिप्पणी-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 113 सपठित धारा 194 के अधीन अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान और धारा 194क के अधीन अनुज्ञेय सवारी से अधिक सवारी वाले यान को तब तक चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वाहन चालक द्वारा अपने खर्च तथा उत्तरदायित्व पर अधिक भार उतरवाकर, यान का भार, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट भार के अनुरूप नहीं किया जाता है या यथा स्थिति अनुज्ञेय सीमा से अधिक सवारियों को उतार कर

ew

सवारियों की संख्या, यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अनुज्ञेय सवारी क्षमता के अनुरूप नहीं की जाती।

2. अधिसूचना संख्या-614/ix-1/81/2015/2016 दिनांक 09-08-2016 द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिन धाराओं में प्रशमन की शक्ति प्रदत्त की गयी है, उक्त के अधीन रहते हुए ही पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित धाराओं में इस अधिसूचना के अनुसार निर्धारित धनराशि के आधार पर प्रशमन की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. उपरोक्त अधिनियम की धारा 190(2) एवं 194 ख (2) में धारित के प्रशमन की निर्धारित दरें दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से तथा अन्य धाराओं में प्रशमन की दरें इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पाये जाने वाले अपराधों के प्रशमन के सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगी।

शैलेश बगौली
सचिव।

संख्या-118/ix-1/53/2019तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन/सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- पुलिस महानिदेशक, देहरादून।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6- अपर परिवहन आयुक्त/समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक यातायात/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, रुड़की को राजपत्र के आगामी अंक में 50 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
- 9- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
lhm
(चिरजी लाल)
अनु सचिव।

✓